न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 23/2022

जीसीएमएस संख्याः 2022/98

1. लज्जाराम पुत्र फद्दी जाति जाटव निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर ....वादी

बनाम

1. कल्लू पुत्र मनोहरलाल जाति खटीक निवासी राधाबिहारी रोड़ धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. मुन्नालाल पुत्र मनोहरलाल जाति खटीक निवासी राधाबिहारी रोड़ धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (दौराने दावा फौत)

2/1 शीला पत्नि स्व0 मुन्नालाल । समस्त जातिगण खटीक निवासीगण
2/2 राजकुमार उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 मुन्नालाल। राधाबिहारी रोड़ धौलपुर तहसील व
2/3 विजय कुमारी पुत्र स्व0 मुन्नालाल । जिला धौलपुर
2/4 मालती पुत्री स्व0 मुन्नालाल । ....प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार साहब तहसील धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर ....तरतीवी प्रतिवादी

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 25.07.2025

निर्णय

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 18.02.2022 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 29.11.2024 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 561 दिनांक 21.07.2025 से विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की।

विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि आराजी खसरा नम्बर 533, 799/534 बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर एनएच 44 से लगे हुए है। उक्त आराजी खसरा नम्बर के सम्पूर्ण भाग पर एक से अधिक भूखण्ड की बाउण्ड्री हो रखी है। प्लॉटिंग हो रखी है। इसलिए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है।

वकील वादी ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी में वादीगण के हिस्से में प्लाटिंग नहीं की है। इसलिए वादी के हिस्से को प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था। उसको तहसीलदार धौलपुर ने प्रदर्शित नहीं किया है। इसलिए तहसीलदार धौलपुर को पुनः रिपोर्ट मंगायी जावे कि वादी ने अपने हिस्से में प्लॉटिंग की है या नहीं उसका हिस्सा कहॉ छोड़ा गया है।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया, वकील वादी ने आपत्ति इस आशय की कि है कि तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट में यह अवगत

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

नही है कि वादी ने अपने हिस्से मे प्लॉटिंग की है या नही और कौनसा हिस्सा वादी के लिए छोड़ा गया है। तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 533, 799, 534 बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर के सम्पूर्ण भाग पर प्लॉटिंग हो चुकी है। और कही भी काश्त नही हो रही है। इसलिए वादीगण की आपत्ति खारिज की जाती है। चूकि विवादित आराज खसरा नम्बर 533, 799, 534 बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर के सम्पूर्ण भाग पर प्लॉटिंग हो चुकी है और काश्त योग्य भूमि नही रही है। इसलिए विवादित आराजी का काश्त योग्य बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए दावा वादी खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार धौलपुर को विवादित आराजी खसरा नम्बर 533, 799/534 बाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग में लिए जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है, साथ ही की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को सूचित करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर म0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

[illegible] सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर

[illegible] डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

[illegible] संख्या: 23 2022

[illegible] संख्या: 2022 / 98

1. [illegible]नारायण पुत्र फद्दी जाति जाटव निवारी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर
........................वादी

बनाम

1. कल्लू पुत्र मनोहरलाल जाति खटीक निवासी राधाबिहारी रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. मुन्नालाल पुत्र मनोहरलाल जाति खटीक निवासी राधाबिहारी रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (दौराने दावा फौत)

2/1 शीला पत्नि स्व0 मुन्नालाल । समस्त जातिगण खटीक निवासीगण
2/2 राजकुमार उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 मुन्नालाल। राधाबिहारी रोड धौलपुर तहसील व
2/3 विजय कुमारी पुत्र स्व0 मुन्नालाल । जिला धौलपुर
2/4 मालती पुत्री स्व0 मुन्नालाल । ....प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार साहब तहसील धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर ....तरतीवी प्रतिवादी

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट मिनजानिव मुददई एवं श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट मिनजानिव मुदयालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा दावा वादी खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार धौलपुर को विवादित आराजी खसरा नम्बर 533, 799/534 वाकै ग्राम तोर दानियाल तहसील व जिला धौलपुर के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग में लिए जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है, साथ ही की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को सूचित करने के आदेश दिये जाते है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 25.07.2025 के संदर्भ में आज दिनांक 25.07.2025 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)